U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 28@2009

1. सुभाष पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।
2. नौरंग पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।
3. धनश्याम पुत्र हरीराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।
4. ळरीराम उर्फ औकांरमल पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण सिधमुखिया निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू हाल वार्ड न0 7 बडवा तहसील सिवानी जिला भिवानी।

vihykV

cuke

1. सत्यनारायण उर्फ संतलाल पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. इन्द्रचंद पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. केशुराम पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलपुर जरिये शाखा प्रबंध्क ।
5. तहसीलदार राजगढ जिला चूरू ।
6. कुनीदेवी पत्नी पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख ।
7. रोहताश पुत्र तारा पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी मोतीसिह की ढाणी तहसील तारानगर जिला चूरू ।
8. धर्माराम पुत्र तारा पत्नी रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी मोतीसिह की ढाणी तहसील तारानगर जिला चूरू ।
9. नीता पुत्री तारा पत्नी विनोद जाति ब्राहमण निवासी ब्राहमणों की ढाणी तहसील व जिला झूझूनू ।

10.मेवा पुत्री पोकरराम पत्नी जगदीश प्रसाद शासत्री जाति ब्राहमण निवासी बडवा हाल निवासी सी 36 बरकतनगर विस्तार अर्जुननगर फाटक के पास टोंक रोड जयपुर

11.तुलसा पुत्री पोकरराम पत्नी हीरालाल महर्षि जाति ब्राहमण निवासी ललाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

12.रूकमणी पुत्री पोकरराम पत्नी प्रहलादराम जाति ब्राहमण निवासी कोहली तहसील आदमपुर जिला हिसार ।

13. पूर्णमल पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी सिद्वमुख तहसील राजगढ जिला चूरू ।

jLikM.VI

mifLFkr%& 1. श्री ललीत गौतम अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री बंजरग लाल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; lgk;d dyDVj jktx< d fu.k;o ikjfEHkd fMØh fnukd 28-07-2009 d fo:} vihy vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—25.05.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील सहायक कलक्टर राजगढ के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.07.2009 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 570 तादादी 45.10 बीघा, ख0न0 283 तादादी 4.01 बीघा जिसके हाल ख0न0 735 तादादी 37.11 बीघा ख0न0 447 तादादी 1.10 बीघा कुल तादादी 39.06 बीधा वाके रोही ग्राम सिद्वमुख के प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2009 के विरूद्व अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 570 तादादी 45.10 बीघा, ख0न0 283 तादादी 4.01 बीघा जिसके हाल ख0न0 735 तादादी 37.11 बीघा ख0न0 447 तादादी 1.10 बीघा कुल तादादी 39.06 बीधा वाके रोही ग्राम सिद्वमुख में स्थित है के संबंध में रेस्पो0 सं0 6 कुनी देवी व रेस्पो0 सं0 10 ता 13 के पिता पोकरराम ने

एक वसीयत दिनांक 10.04.2002 को अपीलांट सं0 1 ता 3 के पक्ष में उपंजीयक सिवानी के समक्ष पंजीकृत करवाई गयी । यह वसीयत कानून विधि सम्मत होते हुऐ भी अधीनस्थ नयायालय के द्वारा शुन्य घोषित कर वादगत कृषि भूमियों में रेस्पो0 सं0 1 ता 3 व अपीलांट सं0 4 एवम रेस्पों0 सं0 13 को 11/60, 11/60 एवं रेस्पो0 सं 6, 10 ता 12 को 1/60 1/60 हिस्सा व रेस्पों0 सं0 7 ता 9 बहिस्सा 1/60 के खातेदार घोषित कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश पारित किया है जो कानून सम्मत नही है क्यों कि वसीयत में वर्णीत वादगत कृषि भूमियां दादालाई नही रही है। पोकरराम वसीयतकर्ता को खातेदार रूडाराम ने गोद लिया इस आधार पर खातेदार पोकरराम कृषि भूमियों को अपनी मर्जी से वसीयत करने का अधिकारी रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत को निरस्त करने के संबंध में सिविल वाद रेस्पो0 सत्यनारायण आदि ने पेश कर रखा है जो विचाराधीन है । वसीयत फर्जी है या विधि सम्मत है का निर्णय सिविल कोर्ट द्वाा किया जाना है । अधीनस्थ न्यायालय में तनकी सं0 1 में राय दी है कि पोकरराम मृत्यु तक सिद्वमुख मे रहा तथा वसीयत के गवाह ग्राम बडवा हरियाणा के है जिस कारण वसीयत की स्थिति संदेह जनक है । जबकि वसीयत पंजीकृत करने वाले सबरजिस्ट्रार को रेस्पों0 ने गवाह के बतौर पेश नही किया एवम पंजीकृत दस्तावेजो को बिना किसी आधार के शुन्य घोषित करना न्यायसंगत नही है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2009 को खारिज किया जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि साबिक ख0न0 570 तादादी 45.10 बीघा, ख0न0 283 तादादी 4.01 बीघा जिसके हाल ख0न0 735 तादादी 37.11 बीघा ख0न0 447 तादादी 1.10 बीघा कुल तादादी 39.06 बीधा वाके रोही ग्राम सिद्वमुख में स्थित है । जिसके संबंध में खातेदार पोकरराम ने एक फर्जी वसीयत दिनांक 10.04.2002 को अपीलांट सं0 1 ता 3 के पक्ष में उपंपजीयंक सिवानी के समक्ष पंजीकृत करवाई जिसको अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा शुन्य घोषित कर रेस्पो0 सं0 1 ता 3 व अपीलांट सं0 4 एवम रेस्पों0 सं0 13 को 11/60, 11/60 एवं रेस्पो0 सं 6, 10 ता 12 को 1/60 1/60 हिस्सा व रेस्पों0 सं0 7 ता 9 बहिस्सा 1/60 के खातेदार घोषित कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश पारित किया है । पोकरराम अपनी मृत्यु तक सिद्वमुख में रहा तथा वसीयत के गवाह ग्राम बडवा हरियाणा के रहे है । जिस कारण वसीयत की स्थिति संदेहजनक रही है । रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश राजगढ चूरू दिवानी वाद सं0 21/05 निर्णय दिनांक 28.02.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के द्वारा वादी सत्यनारायण के द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया एवं पोकरराम पुत्र जीवणराम द्वारा जारी वसीयत को अवैध प्रभाव शुन्य व निरस्त घोषित की जाती है । जिसका अंकन उपपंजीयक कार्यालय सिवानी जिला भिवानी हरियाणा को रजिस्ट्रर्ड प्रलेख क्रमांक 4 बही सं00 3 पृष्ठ सं0 164 दिनांक 10.04.02 पर लाल स्याही से प्रविष्टि किये जाने हेतु तहरीर जारी की जाती है एवं वादी प्रतिवादी सं 4 क स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलपुर को रहन राशि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 से वसूल करने के अधिकारी होगें ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2009 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषक की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश राजगढ चूरू दिवानी वाद सं0 21/05 निर्णय दिनांक 28.02.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के द्वारा वादी सत्यनारायण के द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया एवं पोकरराम पुत्र जीवणराम द्वारा जारी वसीयत को अवैध प्रभाव शुन्य व निरस्त घोषित की जाती है । जिसका अंकन उपपंजीयक कार्यालय सिवानी जिला भिवानी हरियाणा को रजिस्ट्रर्ड प्रलेख क्रमांक 4 बही सं00 3 पृष्ठ सं0 164 दिनांक 10.04.02 पर लाल स्याही से प्रविष्टि किये जाने हेतु तहरीर जारी की जाती है एवं वादी प्रतिवादी सं 4 क स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलपुर को रहन राशि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 से वसूल करने के अधिकारी होगें । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सवंत 2073–76 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा स्टेट बैक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सादुलपुर को रहन राशि जमा करवा वादगत भूमि को रहन मुक्त करवा लिया हे ।
5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.07.2009 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 25.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkwizcu/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj